भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1911

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

1911. श्री नवसकनी के:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) एबीडीएम के तहत अब तक बनाई गई स्वास्थ्य आईडी की कुल संख्या कितनी है;
(ग) स्वास्थ्य आईडी प्रणाली के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए आकड़ें की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) उक्त प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किए गए अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या कितनी है;
(ङ) ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए एबीडीएम प्लेटफॉर्म की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान एबीडीएम में उक्त मिशन के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की गई धनराशि को दर्शाते हुए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है; और
(छ) किस प्रकार उक्त मिशन ने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को प्रत्येक नागरिक के अनुदैर्ध्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य इकॉसिस्टम के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतर-प्रचालनीयता को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार तैयार करना है।

एबीडीएम में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए), स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र रजिस्ट्री (एचएफआर), और दवा रजिस्ट्री जैसी रजिस्ट्रियों का निर्माण अभिप्रेत हैं।

एबीडीएम स्वास्थ्य परिचर्या सेवा को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, समावेशी, सुलभ, समय पर वितरण और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित बनाने के लिए अभिप्रेत है।

27 नवंबर 2024 तक, कुल 68,97,23,403 (~68.97 करोड़) आभा बनाए गए हैं, 3,49,473 (~3.49 लाख) स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों ने एचएफआर पर पंजीकरण किया है, 5,23,639 (~5.23 लाख) स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों ने एचपीआर पर पंजीकरण किया है और 45,37,93,698 (~45.37 करोड़) स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा के साथ जोड़े गए हैं।

एबीडीएम के तहत प्रमुख पहल:

माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट: माइक्रोसाइट्स स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदाताओं को प्लेटफॉर्म पर शामिल करते हुए, विशिष्ट क्षेत्रों में एबीडीएम अपनाने का कार्य संचालित करती हैं। **वर्तमान में, 121 माइक्रोसाइट्स ने 48,000 से अधिक सुविधाकेंद्रों को पंजीकृत किया है और 32 लाख आभा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा है।**

स्कैन करें और साझा करें: इस क्यूआर-कोड-आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा से रोगी जनसांख्यिकीय विवरण डिजिटल रूप से साझा करने में सक्षम हैं, इससे कतार में खड़े होने का समय 30-40 मिनट से घटकर 5-10 मिनट हो गया है। नवंबर 2024 तक, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 17,481 सुविधाकेंद्रों ने 6.64 करोड़ टोकन सृजित किए हैं, जिससे 3.3 करोड़ व्यक्ति-घंटों की बचत हुई है।

स्कैन और भुगतान करें: मरीज अपने आभा पते से जुड़े खुले ऑर्डर देखने और भुगतान करने के लिए पीएचआर ऐप का उपयोग करके सुविधा क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। **नवंबर 2024 तक, एम्स जोधपुर के नेतृत्व में छह सुविधाओं ने इस सेवा का संचालन किया है, जिसमें ₹ 5,00,000 से अधिक के 900 लेनदेन दर्ज किए गए हैं।**

मॉडल एबीडीएम सुविधा पहल: यह पहल रोगी देखभाल को बढ़ाने और सेवाओं को कारगर बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटलीकरण करती है। नवंबर 2024 तक, 133 सुविधाओं का चयन किया गया है, जिसमें कार्य योजना निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

ईसुश्रुत लाइट एचएमआईएस: यह किफायती, मॉड्यूलर एचएमआईएस डिजिटलीकरण और एबीडीएम अनुपालन के साथ छोटी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की सहायता करता है। रुपये 299/माह की कीमत पर, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे के साथ एकीकृत होता है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ प्रदान करता है।

'डिजाइन द्वारा गोपनीयता' आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है और इसे संघीय डिजिटल संरचना के सिद्धांतों का पालन करते हुए लागू किया गया है। डेटा का कोई केंद्रीकृत संग्रह नहीं है। एबीडीएम रोगी की सहमति के बाद एबीडीएम नेटवर्क पर इच्छित हितधारकों के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। एबीडीएम के तहत कई दिशानिर्देश और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती हैं। इनमें स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, डेटा गोपनीयता नीति और एबीडीएम स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर), मोबाइल ऐप गोपनीयता नीति शामिल हैं। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति निर्दिष्ट करती है कि व्यक्ति की सहमति के बिना बीमा और दवा कंपनियों सहित किसी अन्य इकाई के साथ कोई डेटा साझा नहीं किया

जाएगा। भारत सरकार ने मजबूत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप भी है।

2 दिसंबर, 2024 तक; कुल 1,52,544 स्वास्थ्य सुविधाएं एबीडीएम सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं। इसमें 1,31,065 सरकारी और 21,479 निजी सुविधाएं शामिल हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि मिशन के लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। समावेशन एबीडीएम के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। एबीडीएम द्वारा बनाया गया डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा में सहज तरीके से देखभाल की निरंतरता का समर्थन करता है। यह टेलीमेडिसिन आदि जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सहायता करता है।

एबीडीएम में उन स्थानों पर सहायक मोड के प्रावधान हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब हो सकती है। उदाहरण के लिए, आभा के निर्माण के लिए ऑफ़लाइन मोड को सक्षम किया गया है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब हो सकती है या हार्डवेयर या दोनों की अनुपलब्धता होगी।

एबीडीएम को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटन प्रदान किया गया है। इसके सापेक्ष, 20 नवंबर, 2024 तक 92.32 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

एबीडीएम के तहत सबसे बेहतरीन इनोवेशन में से एक है 'स्कैन एंड शेयर' फीचर, जिसने ओपीडी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। इस क्यूआर -कोड-आधारित सिस्टम ने मरीजों को अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी को जल्दी से स्कैन करने और साझा करने की अनुमति देकर मरीज़ों के प्रतीक्षा समय को काफी कम कर दिया है। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 17000 से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में यह सेवा चल रही है, 6.6 करोड़ से ज़्यादा ओपीडी रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं, और औसतन हर दिन लगभग 2 लाख रजिस्ट्रेशन टोकन जेनरेट हो रहे हैं। इस सुविधा ने रजिस्ट्रेशन कतार में प्रतीक्षा समय को 30-40 मिनट से घटाकर 5-10 मिनट करने में मदद की है, जिससे लगभग 3.3 करोड़ व्यक्ति घंटे की बचत हुई है और बुज़ुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों सहित कई नागरिकों को अस्पतालों में तेज़ी से रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद मिली है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ और भी सुलभ हो गई हैं। इसके अलावा, एबीडीएम मरीजों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर नियंत्रण रखने, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करने और समग्र रोगी अनुभव को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई) और हेल्थ फैसिलिटी एंड प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज (एचएफआर, एचपीआर) जैसी प्रणालियों के माध्यम से अंतर-संचालन को बढ़ावा देकर, एबीडीएम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सुचारू डेटा आदान-प्रदान सुनिश्चित कर रहा है, जिससे परिचर्या की गुणवत्ता और पहुंच में वृद्धि हो रही है।

*****